न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 188 / 2015

दायर दिनांक–19.08.2015

1. खीवांराम पुत्र सावता
2. मुखीदेवी धर्मपत्नी स्व0 सावताराम

वादीगण

बनाम

1. जैसाराम पुत्र मंगलाराम
2. महावीर पुत्र जैसाराम
3. शंकरलाल पुत्र जैसाराम
4. रामकरण पुत्र जैसाराम
5. हरिराम पुत्र जैसाराम जाति माली निवासीगण बागोरिया की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

प्रतिवादीगण

वकील वादीगण : श्री विधाधर सिंह जाखड़
वकील प्रतिवादी : एकपक्षीय

दावा– घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व
स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक :– 31.08.2022

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चिराना की सरहद में वादीगण व उसके पूर्वजों की अन्य भूमियों के अलावा भूमि पुराने खसरा नम्बर 2634 रकबा पांच विश्वा गै0मु0 रास्ता पुराने खसरा नम्बर 2711 तक था, जो वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी का था व खसरा नम्बर 2635 रकबा 2 बीघा 11 विश्वा चाही अव्वल वादीगण के पूर्वजों के खातेदारी की है। खसरा नम्बर 2635 की उत्तरी व पश्चिमी कोने के बाहर–बाहर उक्त रास्ता था, जो वर्तमान में भी चालू है, पुराने सीट ''ए'' मार्क की पेश है, जिसमे रास्ते की स्थिति स्पष्ट दर्शाई गई है। खातेदारी की जमाबन्दी ''बी'' मार्क की है, वादी के खसरा नम्बर 2635 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा सीधी है, उसके बाहर से रास्ता है, रास्ते के पश्चिम में ढाणी की आबादी खसरा नम्बर 2712, 2713 है, यानि कि आबादी व वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2635 के मध्य उक्त रास्ता है।

खसरा नम्बर 2634 व 2635 अलग–अलग थे, अलग–अलग सीमा थी, को नई पैमाईश ने एक साथ मिलाकर उनके नये खसरा नम्बर 3366 रकबा 0.70 हैक्टर डाल दिये, जिसका मिलान क्षैत्रफल ''सी'' मार्क का है, खसरा नम्बर 3366 रकबा 0.70 हैक्टर के भी नये खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.70 हैक्टर डाल दिये, जिसका मिलान क्षैत्रफल ''डी'' मार्क का पेश है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित रास्ते को आगे प्रश्नगत रास्ता कहा गया है, उक्त प्रश्नगत रास्ता कहा गया है, उक्त प्रश्नगत रास्ता [illegible] पुराने खसरा नम्बर 2711 की उत्तरी सीमा तक था जो वर्तमान पैमाइश ने पुराने खसरा नम्बर 2709, 2710 व 2711 [illegible] पश्चिम तक नक्शे में काटकर खसरा नम्बर 3388 / 1, 3388 / 2, 3388 [illegible] उत्तरी पश्चिमी सीमा के रास्ते के खसरा नम्बर [illegible] सेटलमेंट ने वादीगण के नये खसरा नम्बर 3366 की पश्चिमी सीमा सीधी खींचने की बजाय [illegible] की तरफ लंच डालते हुये टे[illegible] करके वादी के खसरा नम्बर 3366 में रास्ता दिखा दिया, जो नक्शे में लाल अंक ए से बी से दिखाया गया है, नई पैमाईश का नक्शा ''ई'' मार्क का है जिसका नई पैमाईश को कोई हक अधिकार नही था, बिना क्षैत्राधिकार के विधि विरूद्ध उक्त अंक नक्शे मे लाईन सीधी पूर्व की भांति कायम करना न्यायोचित है, आज भी मौके पर रास्ता पुरानी सीट के अनुसार ही कायम है, लेकिन नक्शे मे व सीट मे लाईन

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

24

लंच लगी हुई होने के कारण प्रतिवादी रास्ते को वादीगण के भूमि खसरा नम्बर 3366 मे खिसका देंगे और उनकी खातेदारी की भूमि के उपयोग मे बाधा पैदा कर देंगे, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है।

पुरानी सीट में जिस प्रकार से पुराने खसरा नम्बर 3635 की पश्चिमी सीमा सीधी है और उसके बाहर से रास्ता है, उसी प्रकार से नये खसरा नम्बर 3366 की पश्चिमी सीमा सीधी की जाकर नक्शे के "ई" मे दिखाया गया "ए" से बी लन्च सीधा किया जावे। वादीगण की खातेदारी की जमाबन्दी "एफ" मार्क की है।

प्रतिवादीगण आये दिन नई सीट मे दर्शाये लन्च की तरह वादीगण की खातेदारी मे रास्ता किसकाना चाहते है, जिसकी आये दिन धमकी दे रहे है, अगर वे अपनी नाजायज मंशा मे सफल हो गये तो वादी को इतना नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत मे संभव नही होगी, वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष मे है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना व रास्ता दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, जिसके लिये उक्त वाद सेवा में पेश है।

उक्त वाद के लिये वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन धमकी देने, गलत रिकॉर्ड बनने व नकले प्राप्त की तब वस्तुस्थिति का पता चला, के रोज व इस प्रकार के दावो के लिये खातेदार काश्तकार को हमेशा ही वादकारण पैदा रहता है, के रोज पैदा हुआ।

वादीगण द्वारा अपने वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद–पत्र की धारा 3 मे वर्णित प्रकार से खसरा नम्बर 3366 वर्तमान 1020 की नक्शे (सीट) मे पश्चिमी सीमा पुरानी सीट के अनुसार सीधी करने व करवाने का वादी को अधिकारी घोषित किया जाकर पुरानी सीट के अनुसार ही नई सीट कायम करने व रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए तहसीलदार को आदेशित किये जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जो पुरानी सीट के अनुसार रास्ता मौके पर आता–जाता है व वर्तमान मे भी उसी जगह है को किसी भी रूप मे तब्दील नही करे, गलत नई सीट के आधार पर रास्ते को वादीगण की काश्त की भूमि मे नही किसकाये, वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का शांति से उपयोग उपभोग करने देवे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर वाद बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगणों दिनांक 15.10.2015 को नियत पेशी पर बावजूद सम्यक् तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जानी आवश्यक नही रहती है। शहादत वादी मे वादी स्वयं खींवाराम पुत्र सांवताराम एवं गवाह हरदेव सिंह पुत्र भोलाराम उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये तथा वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन मे [illegible] दस्तावेज [illegible] जमाबंदी ग्राम थिराना सम्वत् 2020–2023, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1985 [illegible] 2055–2058, प्रदर्श–5 नक्शा शीट सम्वत् 19[illegible] 2067–2070, प्रदर्श–7 नक्शा शीट सम्वत् 1952–53 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजो की अवलोकन से ग्राम थिराना की सरहद खसरा नम्बर 2635 की उत्तरी व पश्चिमी कोने के बाहर–बाहर उक्त रास्ता था, जो वर्तमान में भी चालू है, पुराने सीट "ए" मार्क प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–7 है, जिसमे रास्ते की स्थिति स्पष्ट दर्शित है।

ए. सी. ई. एम. (का. ट्रे.)
[illegible]

खातेदारी की जमाबन्दी "बी" मार्क की है जो कि प्रदर्श–1 है। वादी के खसरा नम्बर 2635 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा सीधी होना प्रदर्श–7 से प्रमाणित होता है। उसके बाहर से रास्ता है, रास्ते के पश्चिम में ढाणी की आबादी खसरा नम्बर 2712, 2713 है, यानि कि आबादी व वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 2635 के मध्य उक्त रास्ता प्रदर्श–7 में अंकित है। खसरा नम्बर 2634 व 2635 अलग–अलग है एवं पृथक–पृथक सीमा है जिसको नई पैमाईश ने एक साथ मिलाकर उनके नये खसरा नम्बर 3366 रकबा 0.70 हैक्टर डाल दिये जो कि मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 1985 से प्रमाणित होता है। खसरा नम्बर 3366 रकबा 0.70 हैक्टर के भी नये खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.70 हैक्टर बनना प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2055–2058 से प्रमाणित है। उक्त प्रश्नगत रास्ता पहले पुराने खसरा नम्बर 2711 की उत्तरी सीमा तक था जो वर्तमान पैमाइश ने पुराने खसरा नम्बर 2709, 2710 व 2711 के भी आगे पश्चिम तक नक्शे में काटकर खसरा नम्बर 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3388/4 से दिखाया है। वादीगण के खेत की उत्तरी पश्चिमी सीमा के रास्ते के खसरा नम्बर 3396 डाले गये है, लेकिन नये सैटलमेंट ने वादीगण के नये खसरा नम्बर 3366 की पश्चिमी सीमा सीधी खींचने की बजाय पूर्व की तरफ लाईन डालते हुये टेडी करके वादी के खसरा नम्बर 3366 में रास्ता दिखा दिया, जो नक्शे में लाल अंक ए से बी से दिखाया गया है, नई पैमाईश का नक्शा "ई" मार्क का है जिसका नई पैमाईश को कोई हक अधिकार नही था, बिना क्षैत्राधिकार के विधि विरूद्व उक्त अंक नक्शे मे लाईन सीधी पूर्व की भांति कायम करना न्यायोचित है, आज भी मौके पर रास्ता पुरानी सीट के अनुसार ही कायम है। पैमाईश कर्मचारियों व अधिकारियों को पैमाईश के समय पूर्व के रिकार्ड की पुनरावृति करने मात्र का अधिकार था। किसी व्यक्ति की खातेदारी बदलने व नक्शा शीट में नई डालने व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था परन्तु पैमाईश के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना क्षैत्राधिकार के व विधी विरूद्ध मौके की स्थिति के विपरित संलग्न नक्शा शीट में वादी के खाते के नक्शे मे से डॉटेड लाइने डाल दी जो उचित नही है। गलत रूप से डाली गई डॉटेड लाइनो को दुरूस्त कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपने खातेदारी की भूमि में पूर्ववर्ती रिकार्ड अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा वाद–पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी पूर्णतया साबित पाया जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलवरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद–पत्र की धारा 3 मे वर्णित प्रकार से खसरा नम्बर 3366 वर्तमान 1020 की नक्शे (सीट) मे पश्चिमी सीमा पुरानी सीट के अनुसार किया जाकर नई नक्शा शीट दुरूस्त करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। [illegible] किया जाता है कि वे जो पुरानी सीट के अनुसार रास्ता मौके पर आता–जाता है [illegible] उसी जगह है की किसी भी रूप मे तब्दील नही करे, गलत नई [illegible] मे नही किसकाये, वादीगण को उनके कब्जे [illegible] उपभोग करने देवे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/[illegible] करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **31.08.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

ह०
([illegible])
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड (नक्शा)
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 188 / 2015 **(खींवाराम आदि बनाम जैसाराम आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके वाद–पत्र की धारा 3 मे वर्णित प्रकार से खसरा नम्बर 3366 वर्तमान 1020 की नक्शे (सीट) मे पश्चिमी सीमा पुरानी सीट के अनुसार किया जाकर नई नक्शा शीट दुरूस्त करने के तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे जो पुरानी सीट के अनुसार रास्ता मौके पर आता–जाता है व वर्तमान मे भी उसी जगह है की किसी भी रूप मे तब्दील नही करे, गलत नई शीट के आधार पर रास्ते को वादीगण की काश्त की भूमि मे नही किसकाये, वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का शांति से उपयोग उपभोग करने देवे। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.08.2022 को जारी की गई।

ए.सी. दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested